भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1664
दिनांक 05 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना

1664. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदेः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पुराने विद्युत अवसंरचना के कारण ग्रामीण किसानों के सामने आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में पुनरुद्धार वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत कार्य शुरू करने के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास खेती के लिए रात्रिकालीन बिजली वितरण से संबंधित सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किसानों के जीवन को खतरे में डालने वाली घटनाओं को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार पुराने विद्युत कंडक्टरों से उत्पन्न खतरों को दूर करने के लिए, विशेषकर गुलवांची गांव में हाल ही में हुई दुःखद घटना के मद्देनजर, कोई तत्काल उपाय कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के लिए हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 30,755 करोड़ रुपये की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

इसमें 30% से अधिक कृषि भार वाले 4,712 मिश्रित भार फीडरों के लिए 7,010 करोड़ रुपये की लागत वाले कृषि फीडर पृथक्करण कार्य शामिल हैं। यह अपेक्षित है कि कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करने से ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विश्वसनीय तीन चरण आपूर्ति की सुविधा मिलेगी और किसानों को दिन के समय विद्युत की आपूर्ति करने में डिस्कॉम को सहायता मिलेगी।

महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि खेती के काम में रात्रि कालीन सुरक्षा शंका को देखते हुए और कृषि उपभोक्ताओं को दिन के समय विद्युत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)/मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना (एमएसकेवीवाई) को 16,000 मेगावाट की विकेन्द्रीकृत सौर विद्युत परियोजनाएं संस्थापित करने की योजना के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके समर्थन के लिए, आरडीएसएस के तहत 2,978 करोड़ रुपये की लागत से बैक-एंड अवसंरचना को बढ़ाने के लिए प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य के 'मैगेल टायला सौर पंप कार्यक्रम' के अंतर्गत पारंपरिक पंपों के बजाय सौर पंप संस्थापित किए जा रहे हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत कार्य अवार्ड कर दिए गए हैं तथा उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(ङ) : महाराष्ट्र राज्य ने सूचित किया है कि गुलवंची गांव में हुई दुखद घटना की पुनरावृति से रोकने के लिए पुरानी खराब हो चुकी लो टेंशन (एलटी) बेयर कंडक्टर लाइनों की पहचान की गई है और उन्हें एलटी एरियल बंच्ड केबल से बदला जा रहा है। साथ ही, एमएसईडीसीएल द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है और रखरखाव गतिविधियाँ प्राथमिकता के आधार पर की जा रही हैं।

****